	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-8-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाशपर ~~अन्य कार्यवश बाहर दौरे में व्यस्त रहेंगे~~ है। ~~अन्य कार्य में व्यस्त है।~~ अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक पुनः बहस कार्यवाही हेतु दिनांक 8-9-21 को पेश हों।	
8-9-21.	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित. वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। ~~वकील~~ वकील प्रार्थी ने कथन किया कि दौराने वाद विवादित आराजी को प्रतिवादीगण रहन विक्रय खुर्द बुर्द कर सकते हैं अतः ~~प्रति~~ अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पैतृक सम्पत्ति व रजिस्टर्ड वसीयत पत्र से अधिकार [illegible] से बाबत वाद विवादित है अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः वादी व प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ता फैसला वाद वादग्रस्त आराजी खाता सं. 39 कुथना 38 कुल खसरा किता 14 योग रकबा 12.04 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की मौके [illegible] स्थिति बनाये रखे। पत्रावली [illegible] शरुण भूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.09.13 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner